

प्रथम पत्र

अंचल अधिकारी का कार्यालय, कसमार

अनुसूची 10 - फारम सं० 562।





आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक/ता०.....से.....तक

जिला- बोकारो, विविध वाद सं० 10 सन् 2022-23

केस का प्रकार - विविध वाद के तहत ऑनलाईन पंजी 2 में प्लॉट एवं अन्य सुधार।

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 27.02.2023 | <p>विक्रेता...<u>मंजुर अंसारी</u>...पिता...<u>स्व० शशीबहा अंसारी</u>...ग्राम-<u>कमलापुर</u> पंचायत-<u>फोण्डा</u>...थाना-<u>कसमार</u>, जिला- बोकारो के द्वारा आवेदन ऑनलाईन पंजी 2 पर प्लॉट प्रविष्ट करने हेतु दिया गया है, जिसकी मौजा <u>सुरजुडीह</u>, थाना संख्या....., खाता संख्या <u>176</u>, प्लॉट संख्या <u>769</u>.....कुल रकवा <u>4.51</u> अ० वर्गित है। जिसमें प्लॉट की प्रविष्टि झारभूमि पोर्टल पर ऑनलाईन नहीं है। जबकि उक्त खाता संख्या <u>176</u>.....ऑनलाईन पंजी 2 के पेज नं० <u>92</u>.....वोल्युम नं० <u>1</u> पर दर्ज है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से ऑनलाईन वसुधा में अपने लॉगिन से अग्रसारित करते हुए जांच प्रतिवेदन मांगे।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p style="text-align: right;"> <u>27.2.2023</u> अंचल अधिकारी कसमार।</p> | |
| 01.03.2023 | <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्लॉट सुधार कर अपने लॉगिन से अग्रसारित किया गया है। अद्योहस्ताक्षरी के लॉगिन से प्लॉट एवं रकवा का सुधार कर दिया गया है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p style="text-align: right;"> <u>1.3.2023</u> अंचल अधिकारी कसमार।</p> | |